

नवभारत



सरकार चंदा चोरों को बचा रही : केजरीवाल



जुलूस में शामिल लोग सतर्कता बरतें



गोयल ने एर्थस में मंत्री से की मुलाकात



39 साल की उम्र में जीत सकता है, तो वह जोकोविच हैं : विजय अमृतराज

चंपत से 6 घंटे पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा मामले

03 महीने पहले ही बैंक ने दी थी चेतावनी

08 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अयोध्या, 29 जून. अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच एजेंसियों ने वित्तीय लेन-देन की पड़ताल तेज कर दी है. सोमवार को सभी आठ आरोपियों को वीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने इस चरण में आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी. इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है. तब तक सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

मामले की जांच के क्रम में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी करीब 6 घंटे पूछताछ की गई तथा उनके बयान दर्ज किए गए. पूछताछ के बाद चंपत राय के दिल्ली जाने की जानकारी सामने आई. वहीं, मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस पर छुट्टियों के बाद विचार किया जाएगा. इस बीच अयोध्या के



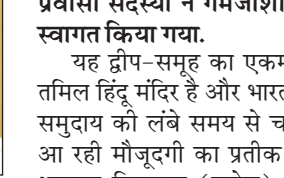
चंपत राय



अनिल मिश्रा



टिजू यादव



सुभाष चंद्र



लवकुश मिश्रा



अनुकल्प मिश्रा

चढ़ावा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- इतनी जल्दबाजी क्यों ?

नई दिल्ली, 29 जून. अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित हेरफेर से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता क्या है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं की जाएगी और मामले को अदालत की छुट्टियां समाप्त होने के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा. याचिका में राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर मंदिर में आने वाले चढ़ावे के कथित गलत इस्तेमाल और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग की है.

अधिवक्ताओं को बैठक में निर्णय लिया गया कि चढ़ावा मामले के आरोपियों की ओर से कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा. बैठक में कुछ पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों के अयोध्या छोड़ने की मांग भी उठाई गई और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई. दान गबन और चोरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की

तीसरे दिन चंपत राय अयोध्या से दिल्ली पहुंचे

इस्तीफे के तीसरे दिन राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय अयोध्या से दिल्ली पहुंचे हैं. राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे पूछताछ की और चंपत राय का बयान दर्ज किया है. ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद वे दिल्ली पहुंचे हैं. यह माना जा रहा है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और मामले पर चर्चा कर रहे हैं. अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक आपात बैठक में प्रस्ताव पास कर चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों (अनिल मिश्रा, गोपाल राव) को अयोध्या छोड़ने के लिए तीन दिन का समय दिया है.

एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए आठों आरोपियों के नाम:

रामशंकर यादव उर्फ टिजू यादव (ट्रस्ट के महासचिव के पूर्व सहयोगी), सुभाष चंद्र श्रीवास्तव (कैश-कार्डिंग प्रभारी/पूर्व बैंकर) लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रामशंकर मिश्रा.

एक नजर में



दो दिनी दौरे पर मुर्मू जाएंगी आंध्र प्रदेश

नयी दिल्ली, 29 जून. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर जायेंगी. राष्ट्रपति सचिवालय ने सोमवार को बताया कि श्रीमती मुर्मू मंगलवार को विजयनगरम में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बुधवार को वह अंततपुरम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

पीएम मोदी की सचिवों संग बड़ी बैठक आज

नई दिल्ली, 29 जून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केंद्र सरकार के सभी विभागीय सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे. इस उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे सुधारों, नियमों में ढील, उदारीकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. बैठक का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और नागरिकों के लिए जीवन को अधिक सुगम बनाने (ईज ऑफ लिविंग) से जुड़े सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना है.

गुस्ताखी माफ



राजस्थान और हरियाणा में समझौता

नई दिल्ली 29 जून. राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में सोमवार को यहां एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे दोनों राज्यों में पानी से जुड़ी तीन दशक पुरानी समस्या का समाधान हो जायेगा.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ

तीन दशक पुरानी समस्या का भी आसानी से समाधान हो सकता है

शाह ने कहा कि यह समझौता सहकारी संघवाद के मंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह इस बात का प्रमाण है कि अगर राज्य सहकारी संघवाद की सोच को आगे बढ़ाएं तो तीन दशक पुरानी समस्या का भी आसानी से समाधान हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत यमुना नहर से जुलाई से अक्टूबर तक तीन भूमिगत पाइपलाइनों के जरिये लगभग 580 घन मीटर पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा.

अधिकारी उपस्थित थे. श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों



की पानी से जुड़ी लगभग तीन दशक पुरानी समस्या का आज समाधान हो गया है.

जर्मनी में गोलीबारी : पांच लोगों की मौत, एक संदिग्ध गिरफ्तार

स्टाड (जर्मनी), 29 जून. जर्मनी के उत्तरी शहर स्टाड में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है. अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और फिलहाल गोलीबारी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार, पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि

गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सुरक्षा और तलाशी अभियान शुरू किया गया। ल्यूनेबर्ग पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में लोगों से घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल पर बचाव कार्यों के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना स्टाड शहर के मध्य क्षेत्र स्थित एक युवा केंद्र में हुई।

सीबीएसई की नई त्रि-भाषा नीति लागू

- ▶ 2026-27 से लागू होगी सीबीएसई की नई भाषा व्यवस्था
- ▶ कक्षा 9 से तीन भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली, 29 जून. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप त्रि-भाषा नीति को लागू करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10 के छात्रों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी और वे पहले की तरह केवल

नियम उल्लंघन पर पहली बार मिलेगा सुधार नोटिस

नई दिल्ली, 29 जून. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विधिक मार्गनिष्ठ अधिनियम, 2009 के तहत पहली बार प्रक्रियात्मक या नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के लिए सुधार नोटिस की व्यवस्था लागू की है। जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत लागू इस व्यवस्था में संबंधित संस्थाओं को दंडात्मक कार्रवाई से पहले अपनी गलतियों सुधारने का अवसर दिया जायेगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार सुगमता बढ़ेगी, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

शॉपिंग के लिए केतन से लिए थे 1 करोड़

पुणे मर्डर के स: हत्या से पहले कई चरणों में बनी थी कथित साजिश

पुणे, 29 जून. पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस ने कई नए तथ्यों का खुलासा करने का दावा किया है। जांच के अनुसार, केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गोयल की नवंबर 2025 में सगाई हुई थी और दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थीं.

पुलिस का कहना है कि इसी दौरान सिया ने शादी की खरीदारी के नाम पर केतन से करीब एक करोड़ रुपये लिए थे. जांच में यह भी आरोप है कि यह राशि कथित

रूप से चेतन चौधरी को दी गई। जांच के दौरान 6 जून को केतन और सिया को एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब चालक वैभव जाधव का बयान भी दर्ज किया गया है. चालक के अनुसार, यात्रा के दौरान सिया किसी बात को लेकर अपने भाई से फोन पर बहस कर रही थीं.

उसने यह भी बताया कि रास्ते में वाहन कुछ देर के लिए रुका, जहां चार अन्य लोग सवार हुए. बाद में फूड कोर्ट पर रुकने के दौरान सिया कथित रूप से गाड़ी से कुछ सामान निकालकर अपने बूट

में रखकर वापस चली गई. चालक के अनुसार, बाद में उसे सूचना मिली कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है, लेकिन तलाशी के दौरान पासपोर्ट नहीं मिला.

पुलिस का दावा है कि घटना से एक दिन पहले सिया और चेतन ने पुणे के एक कैफे में मुलाकात कर कथित योजना बनाई थी. जांच के अनुसार, चेतन स्कूटर से लोहगढ़ किले पहुंचा ताकि टोल प्लाजा पर वाहन का रिकॉर्ड न बने. पुलिस ने संबंधित स्कूटर जब्त कर लिया है।



यूसीसी को लेकर सीएम ने राज्यपाल को दिया ब्यौरा

- ▶ लोकभवन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्यपाल से मिले
- ▶ यूसीसी को लेकर मिल रहा व्यापक जन समर्थन

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 29 जून. राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक भवन पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल पटेल को मंत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, यूसीसी को लेकर मिल रहा व्यापक जन समर्थन एवं इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्य योजना से भी अवगत किया.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि यूसीसी बिल को लेकर जिस

तरह प्रदेश के लोगों से समर्थन मिला है, उससे प्रदेश में इसे लागू करने को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर स्वीकृति की मुहर लग गई है. सीएम ने राज्यपाल को बताया कि इस बिल को समाज के सभी वर्गों से व्यापक समर्थन मिला है, लेकिन सबसे बड़ा संतोष का विषय यह है कि इस बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी आगे आई हैं, उन्हें भी इस बिल में अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा होती दिख रही है. बताया जा रहा है कि सीएम ने राज्यपाल को यह भी बताया कि यूसीसी के दायरे से प्रदेश के जनजाति वर्ग को बाहर रखा जाएगा, प्रदेश में यूसीसी लागू होने से जनजाति वर्ग के मान्यताओं, परंपराओं, धार्मिक-रीति-रिवाजों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा.

(शेष पेज 12 पर)